सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2025/61 दर्ज दिनांक : 05.05.2025

1. सजना देवी पत्नी महेन्द्र कुमार निवासी बालाजी मंदिर के सामने वार्ड संख्या 04 पुराना नया 01 चूरू (राज.)
2. सरोज पत्नी मुकेश सैनी निवासी चूरू बूंटिया रोड़ पुराना वार्ड संख्या 37, नया 50 चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. कैलाश चन्द्र पुत्र चंदूलाल निवासी वार्ड संख्या 43, पी.के. बागला स्कूल के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)
3. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा घंटेल तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री भरत सिंह राठौड़
प्रतिवादी हनुमान प्रसाद स्वामी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– **10.11.2025**

आज यह पत्रावली वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अन्तर्गत धारा– 188, 53, 88 वास्ते तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि संयुक्त कृषि आराजी खसरा संख्या 1003/925 तादादी 4.6412 हैक्ट. रोही ढाणी मुनीमजी पटवार मण्डल घण्टेल तहसील व जिला चूरू में स्थित है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है। यह भूमि वादीगणों के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के भाई पूर्व काश्तकार/खातेदार ओम प्रकाश स्वामी पुत्र चंदू लाल द्वारा दिनांक 24.04.2025 को रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा खरीद की गई है, प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत 2075 से वर्तमान तक की प्रमाणित प्रति व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2025 की प्रमाणित प्रति दावा हाजा के साथ पेश है।

वादीगण ने रजिस्टर्ड बैना[illegible] संख्या 999 दिनांक 24.04.2025 को स्वीकृत नामान्तरकरण करवा कर पूर्व खातेदार/क[illegible]मप्रकाश स्वामी पुत्र चंदू लाल स्वामी से कब्जा प्राप्त कर लिया है। परन्तु [illegible] बैनामा कराये जाने के बावजूद वादीगण के कब्जा व मौके की स्थिति को परिवर्तन [illegible] की बाली बाला प्रयास किये जा रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 14.04.2025 को भी पूर्व खातेदार ओमप्रकाश [illegible]की कब्जे व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तारबंदी व पट्टिया उखाड़ने व स्वयं के अनुसार खाता कृषि भूमि विभाजित किये जाने का प्रयास किया गया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा 107, 116 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही की गयी, जिसकी प्रमाणित प्रति दावा हाजा के साथ संलग्न है।

वादीगण द्वारा जिस पूर्व खातेदार काश्तकार ओमप्रकाश स्वामी पुत्र चंदुलाल स्वामी से वादगत कृषि भूमि खरीद की गई, उक्त भूमि संबंधित विभाजन का विवाद पूर्व से विद्यमान था तथा पूर्व खातेदार ओमप्रकाश स्वामी व प्रतिवादी संख्या 01 एक ही पिता की जाईन्दा औलाद है। इस बाबत मौखिक विभाजन कर सालों से पूर्व खातेदार/काश्तकार अपनी सींव बनाकर पट्टियां व तारबंदी कर खेत कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा काश्त करता आ रहा था, उक्त कब्जा विधिवत रूप से वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा करवाकर प्राप्त किया गया है। परन्तु अभी भी प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को उनके कब्जा काश्त में दखल करने तथा उनकी भूमि को खुर्द बुर्द करने सींव तोड़कर स्वयं के आधार पर खेत का विभाजन करने की एलानिया धमकी दे रहा है, तथा वादीगण द्वारा वादगत कृषि भूमि पर काश्त करने से रोकने की कोशिश लगातार कर रहा है।

वादगत कृषि भूमि वादीगणों द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के सगे भाई ओमप्रकाश स्वामी से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 24.04.2025 को ली जाकर इंतकाल नामान्तरकरण करवा कर (इंतकाल संख्या 999) विधिवत रूप से अपने हिस्से पर काबिज होने का अधिकारी है तथा काश्त करने के भी कानूनी रूप से हकदार है। वादीगण के वादगत कृषि भूमि के चारों तरफ पट्टियां व तारबंदी की हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 01 झगडालु व लालची किस्म का व्यक्ति है तथा वादीगण के विधिवत कब्जे को हटाकर जबरदस्ती स्वयं के अनुसार खेत के दो हिस्से करने पर आमादा है। वादीगण व उसका परिवार सीधे साधे व्यक्ति है, जो प्रतिवादी संख्या 01 से लाठी के बल पर मुकाबला करने में असमर्थ है, इसलिये आवश्यक हो गया है कि जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दावा प्रतिवादी संख्या 01 जो ऐसा करने से वर्जित करावे, जिसके लिये ये दावा पेश किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 03 शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा घंटेल संयुक्त खाते पर ऋण प्राप्त कर रखा है, तथा रिकॉर्ड में यह भूमि रहन है। इसलिये बैंक को दावा हाजा में तरतीबी पक्षकार बनाया गया है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 को कहा व कहलवाया कि वादगत कृषि भूमि का वादी संख्या 01 सजना देवी पत्नी महेन्द्र कुमार हिस्सा 1897/1603 व सरोज पत्नी मुकेश सैनी हिस्सा 7809/23206 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर तथा बाहमी विभाजन जो पूर्व खातेदार काश्तकार ओमप्रकाश स्वामी द्वारा सालों से कब्जा काश्त में चला आ रहा था, उस विभाजन को कानूनी रूप से खाता विभाजित व लगान कायम करवा देवे तथा कब्जे काश्त व मौके की स्थिति सींव, तारबंदी आदि में दखल न करे, मगर प्रतिवादी संख्या 01 टालमटोल करते रहे, व आखिर दिनांक 26.04.2025 को साफ इंकार हो गये, लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखास्मत दावा है, तथा बिनाय दावा वादीगण को कृषि भूमि मजकूर का नियमानुसार खातेदार/काश्तकार होने से प्राप्त है।

दावा डिक्री होने की सूरत में राजस्व की प्रविष्टियां तहसीलदार चूरू के माध्यम से होनी है, इसलिये राजस्थान सरकार को तकमीलन पक्षकार प्रतिवादी संख्या 02 बनाया गया है, मगर दावा में राज्य सरकार के हितों पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिये दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 जाब्ता दीवानी नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि [illegible] खसरा संख्या 1003/925 कुल तादादी 4.6412 हैक्ट. भूमि में से वादी संख्या [illegible] वादी संख्या 02 का 7809/23206

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

हिस्सा संलग्न नजरी नक्शा "ए" के अनुसार भूमि वादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की है तथा इसी के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावें।

(ख) जरिये डिक्री कृषि भूमि विभाजन 1003/925 में से कुल तादादी 4.6412 हैक्ट. भूमि में से वादी संख्या 01 का 1897/11603, वादी संख्या 02 का 7809/23206 हिस्सा भूमि वादीगणों के कब्जे काश्त की है। जिसे वादीगण के मुताबिक खाता विभाजन किया जाकर अलग खाता व अलग लगान कायम किया जावें।

(ग) जरिये डिक्री हुक्त इम्तनाई दावा प्रतिवादी संख्या 01 को वर्जित किया जावे कृषि भूमि खसरा संख्या 1003/925 कुल तादादी 4.6412 हैक्ट. रोही ढाणी मुनीम जी तहसील व जिला चूरू में वादी संख्या 01 1857/11603, वादी संख्या 02 का 7809/23206 हिस्सा के कब्जे काश्त में दखल ना देवे ना वादीगण को भूमि पर कब्जा करने की चेष्टा करे ना ही सींव, सीमा, सीमांकन नष्ट करने की कोशिश करे ना फसल को काश्त करने में रूकावट करे तथा ना ही वादीगण को बेदखल करे ना ऐसा कार्य या उपकार्य करे, जिससे वादीगण के हक अधिकार व कब्जे काश्त पर विपरित असर पड़ता हो।

(घ) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें। अन्य कोई अनुतोष जो हितकारी वादी हो उसे दिलवाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री हनुमान स्वामी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान ने सुन व समझकर राजीनामा सही होना स्वीकार किया व राजीनामा पर हस्ताक्षर किये वादी की पहचान अधिवक्ता श्री भरतसिंह व प्रतिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद स्वामी द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

दावा वादीगण में पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात, राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। राजीनामे पर पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण व प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। राजीनामा के साथ संलग्न ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा "अ" अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है संलग्न नक्शा ऐनक्चर "अ" व राजीनामा को भविष्य में निर्णय व डिक्री का भाग माना जावेगा। तहसीलदार चूरू एनेक्जर "अ" के अनुरूप ही खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1003/925 तादादी 4.6412 हैक्टेयर वाके रोही ढाणी मुनीमजी पटवार मण्डल घण्टेल तहसील व जिला चूरू में से वादी संख्या 01 सजना देवी पत्नी महेन्द्र कुमार हिस्सा 1897/11603 एवं वादी संख्या 02 सरोज पत्नी मुकेश हिस्सा 7809/23206 एवं प्रतिवादी संख्या 01 हिस्सा 1/2 का ... काश्तकार है तथा राजीनामा के संलग्न एनेक्जर "अ" में दर्शितानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान निम्नानुसार अलग–अलग कायम करने का ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

क्र.सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत व पता	रोही ग्राम	खसरा संख्या	तादादी हैक्टेयर में
1.	1. सजना देवी पत्नि महेन्द्र कुमार हिस्सा 3794 / 11603 जाति माली निवासी बालाजी मंदिर के सामने, पुराना वार्ड नं. 04, नया वार्ड नं. 01, चूरू खातेदार 2. सरोज पत्नि मुकेश सैनी हिस्सा 15618 / 23206 जाति माली निवासी बूंटिया रोड, पुराना वार्ड नं. 37, नया वार्ड नं. 50, चूरू खातेदार	ढाणी मुनीमजी	1003 / 925 मि.	2.3206
2.	कैलाश कुमार पुत्र चन्दूलाल जाति स्वामी निवासी चूरू खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा घण्टेल	ढाणी मुनीमजी	1003 / 925 मि.	2.3206
		कुल	किता—2	4.6412

राजीनामा के संलग्न एनेक्जर ''अ'' भविष्य में दावा एवं डिक्री का भाग व जूज माना जावेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2025/61 दर्ज दिनांक : 05.05.2025

1. सजना देवी पत्नी महेन्द्र कुमार निवासी बालाजी मंदिर के सामने वार्ड संख्या 04 पुराना नया 01 चूरू (राज.)
2. सरोज पत्नी मुकेश सैनी निवासी चूरू बूंटिया रोड़ पुराना वार्ड संख्या 37, नया 50 चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. कैलाश चन्द्र पुत्र चंदूलाल निवासी वार्ड संख्या 43, पी.के. बागला स्कूल के पीछे, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)
3. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा घंटेल तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री भरत सिंह राठौड़
प्रतिवादी हनुमान प्रसाद स्वामी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: पर्चा डिक्री :

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत् तकसीम आराजी वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर उभय पक्षकारों की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी वादगत कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1003/925 तादादी 4.6412 हैक्टेयर वाके रोही ढाणी मुनीमजी पटवार मण्डल घण्टेल तहसील व जिला चूरू के खातेदार काश्तकार है तथा राजीनामा के संलग्न एनेक्जर "अ" में दर्शितानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान निम्नानुसार अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

क्र.सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत व पता	रोही ग्राम	खसरा संख्या	तादादी हैक्टेयर में
1.	1. सजना देवी पत्नि महेन्द्र कुमार हिस्सा 3794/11603 जाति माली निवासी बालाजी मंदिर के सामने, पुराना वार्ड नं. 04, नया वार्ड नं. 01, चूरू खातेदार 2. सरोज पत्नि मुकेश सैनी हिस्सा 15618/23206 जाति माली निवासी बूंटिया रोड़, पुराना वार्ड नं. 37, नया वार्ड नं. 50, चूरू खातेदार	ढाणी मुनीमजी	1003/925 मि.	2.3206
2.	कैलाश कुमार पुत्र चन्दूलाल जाति स्वामी निवासी चूरू खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा घण्टेल	ढाणी मुनीमजी	1003/925 मि.	2.3206
		कुल	किता—2	4.6412

राजीनमा के संलग्न एनेक्जर "अ" भविष्य में दावा एवं डिक्री का भाग व जूज माना जावेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार—I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:16:35 IST
Reason: SelfAttested